



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
14.10.2024 को आदेश सुरक्षित
25.10.2024 को आदेश पारित
एमसीआरसी क्रमांक 6598/2024

अरुण पति त्रिपाठी पिता स्वर्गीय श्री प्रकाश पति त्रिपाठी, उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी मकान नंबर 1 ए, स्ट्रीट नंबर स्पा, सेक्टर 9, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़

...आवेदक

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय रायपुर जोनल कार्यालय द्वितीय तल, ए-1, ब्लॉक पुजारी चेम्बर्स, न्यू धमतरी रोड, पंचपेड़ीनाका, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

...प्रतिवादी

आवेदक के लिए	:	श्री यतिन ओझा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिशिर प्रकाश, श्री अनुराग आर. राठौड़, एवं श्री आदित्य तिवारी अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई
प्रतिवादी के लिए	:	डॉ.सौरभ कुमार पांडे, उपमहाअधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

सी ए वी आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('बीएनएसएस') की धारा 483 सहपठित पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक की ओर से ECIR/RPZO/04/2024 दिनांक 11.04.2024 में नियमित जमानत की याचना की जा रही है।

2. आवेदक को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 11.04.2024 को रायपुर जोन में पंजीकृत ECIR/RPZO/04/2024 के अनुसरण में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उपरोक्त ECIR को पूर्ववर्ती अपराध के अनुसरण में पंजीकृत किया था, जिसे EOW, रायपुर द्वारा दिनांक 17.01.2024 को भा०दं०सं० की धारा 120-B, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना क्रमांक 04/2024 के रूप में दर्ज किया गया था। आवेदक का मामला PMLA की धारा 3 और 4 के अनुसार अनुसूची एक, भाग-A (IPC के तहत अपराध) और पैरा-8 (PC अधिनियम के तहत अपराध) के अंतर्गत आता है।



3. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक के खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक इतिहास हैं)

1) उत्तर प्रदेश, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा के पुलिस थाना कासना द्वारा पंजीकृत प्रथम सूचना क्रमांक 196/2023 धारा 420, 468, 471, 473, 484 एवं 120-बी भा०दं०सं० के तहत कथित अपराध के लिए। उक्त मामले में सह-आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, हालांकि इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके अलावा उक्त प्रथम सूचना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोक दी गई है और तदनुसार, उसे उक्त मामले में हिरासत से रिहा कर दिया गया है।

2) एसीबी, रायपुर द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक 04/2024 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा०दं०सं० सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ उक्त आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। प्रकरण विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) रायपुर के विद्वान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यह प्रथम सूचना ECIR 04 के लिए पूर्ववर्ती अपराध है।

iii) ECIR/RPZO/11/2022 पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराध के लिए (आयकर विभाग द्वारा धारा 120-बी भा०दं०सं० के साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर की गई शिकायत)। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस ECIR में दिनांक 04.07.2023 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(क्रिमि०) क्रमांक 153/2023 के आदेश दिनांक 08.04.2024 के अनुसार ने शिकायत को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि उक्त मामले के संबंध में कोई अनुसूचित अपराध नहीं था और उक्त प्रकरण में अपराध की कोई आय नहीं थी।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, "आवेदक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोप को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सबूत हैं। अपराध की कुल आय में से, परिवर्तन निदेशालय ने पहले ही लगभग 205 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान कर ली है और उसे जप्त कर लिया है। आरोपी व्यक्तियों की भूमिका की जांच पूरी हो चुकी है और इसलिए वर्तमान शिकायत दर्ज की जा रही है।"

5. ECIR 11/2022 के संबंध में जांच पूरी हो गई है और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया है, हालांकि ECIR 11/2022 के अनुसरण में की गई जांच के आधार पर उक्त ECIR (4 ऑफ 2024) पंजीकृत है। अभिलेख में कुछ भी नया नहीं आया है। शिकायत को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि ECIR 11/2022 के समक्ष जांच की सामग्री का उपयोग ECIR 4/2024 में किया गया है, जिसमें विदेशी यात्राएं और



निवेश शामिल हैं, जिसके लिए दिनांक 31.03.2023 और 01.04.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत आवेदक की पत्नी के कथन ECIR 11/2022 में दर्ज किए गए थे, और उसके बाद 04.06.2024, 05.06.2024, 06.06.2024 और 08.06.2024 को आवेदक की पत्नी के कथन ECIR 4/2024 में दर्ज किए गए थे और जांच अधिकारी के समक्ष भी यही बयान दिया गया था। इसी प्रकार आवेदक का बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत ECIR 11/2022 में 31.03.2023, 01.04.2023, 03.04.2023 08.04.2023, 19.04.2023 और 20.04.2023 को तथा ECIR 4/2024 में 8.05.2024, 31.05.2024, 09.08.2024, 10.08.2024, 11.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024 तथा 14.08.2024 को दर्ज किया गया। आवेदक ने 05.04.2023, 11.04.2023 और 21.04.2023 को ECIR 11/2022 में अपना बयान वापस ले लिया, हालांकि, उसने ECIR 4/2024 में अपना बयान वापस नहीं लिया है।

6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यतिन ओझा ने तर्क दिया है कि ECIR 11 से जो पाया गया था, उसे ECIR 4 में समाहित किया गया है। इस आधार पर कि केवल शिकायत ही फर्जी है, सामग्री नहीं और जांच रद्द हो जाती है। एक बार शिकायत चली गई तो सब कुछ खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब नींव चली जाती है तो अधिरचना ढह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले में जस्टिस बी.पारदीवाला ने कहा है कि “धारा स्रोत से ऊंची नहीं हो सकती।”

7. सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में यह माना गया है कि प्रारंभ में जिस अधिकारी को अधिकार नहीं है, उसने एनडीपीएस के तहत जांच शुरू की। यह तथ्यात्मक पहलू होने पर विचारण तक इंतजार करने जैसा कुछ नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो तथ्य साबित करना चाहते हैं, वह यह है कि ECIR 11 में जो भी सामग्री थी, उसे ECIR 4 में आधार बनाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि ECIR 4 के पंजीयन और आवेदक की गिरफ्तारी यानी 08.08.2024 के बीच कोई नई सामग्री नहीं मिली है या आज तक यानी 5.10.2024 तक कोई नई सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने **वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, 2024, आईएनएससी 739** के मामले में पैरा 13 में अपना भरोसा इस प्रकार रखा है:

“हमने प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। ईडी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने वाला मुख्य दस्तावेज़ अनुसूचित अपराधों के संबंध में अपीलकर्ता के परिसर से राज्य पुलिस द्वारा जब्त की गई पेन ड्राइव का एक हिस्सा है। अनुसूचित अपराधों से निपटने वाली संबंधित अदालत ने जब्त की गई पेन ड्राइव में सॉफ्ट फ़ाइलों का मुद्रित संस्करण प्रदान किया है। इस स्तर पर सॉफ्ट फ़ाइलों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अपीलार्थी के बैंक खाते में 1.34 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा करने के लिए प्रथम दृष्ट्या सामग्री भी मौजूद है। इस स्तर पर, विधायक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक और कृषि आय के जमा के संबंध में अपीलकर्ता की आपराधिक अपील @ एसएलपी (सीआरएल)



संख्या 3986/2024 पृष्ठ 9/25 की दलील को विधायक के रूप में अपीलार्थी की नकद आय और कृषि आय के अस्तित्व को दर्शाने वाले किसी भी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस स्तर पर, यह मानना बहुत मुश्किल होगा कि पीएमएलए की धारा 44 (1) (बी) और उसमें भरोसा की गई सामग्री के तहत शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

8. इसके अलावा, उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 45 की व्याख्या करते हुए पैरा 25 में स्पष्ट रूप से माना है कि पीएमएलए के मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। पैराग्राफ 25 में निम्नलिखित लिखा है:

ऐसी विधियों में अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, इन विधियों के तहत अपराधों के लिए मुकदमों का शीघ्र निपटान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, ऐसी विधियों में जमानत देने के लिए उच्च सीमा निर्धारित करने के प्रावधान हैं। जमानत देने के लिए निर्धारित उच्च सीमा को देखते हुए, मुकदमे का शीघ्र निपटान भी, आपराधिक अपील @ एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 3986/2024, गारंटी है। इसलिए, मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को इन विधियों में पढ़ा जाना चाहिए। मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और जमानत देने की उच्च सीमा एक साथ नहीं चल सकती। यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।" जमानत देने के संबंध में ये सख्त प्रावधान, जैसे कि पीएमएलए की धारा 45(1)(iii), ऐसा साधन नहीं बन सकते जिसका उपयोग अभियुक्त को बिना सुनवाई के अनुचित रूप से लंबे समय तक कैद में रखने के लिए किया जा सके।

9. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि पीएमएलए की धारा 45 को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है और यह किसी नागरिक की स्वतंत्रता को छीनती है। पीएमएलए की धारा 45 की व्याख्या अब उतनी एकीकृत नहीं है, जितनी कि वी. सेंथिल बालाजी बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक ने माना है कि संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिक को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जो संविधान के तहत गारंटीकृत एक बहुत अधिक उच्च और मूल्यवान अधिकार है, और इसलिए पीएमएलए की धारा 45 को कड़े शब्दों में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह प्रारूपिक है। इसी तरह, **प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ, 2024 आईएनएससी 637** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, और संविधान का अनुच्छेद 21 पीएमएलए की धारा 45 से अधिक अधिकार प्रदान करता है।

10. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के तुरंत बाद 12.05.2023 को पहली ECIR में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद, उसे 15.02/2024 को ईडी की हिरासत में 14 दिनों और नौ महीने से अधिक की न्यायिक हिरासत में रहने के बाद इस अदालत द्वारा जमानत दी गई थी। आवेदक नौ महीने से अधिक



समय से समान आरोपों पर ईडी की अवैध हिरासत में है और वर्तमान ECIR वही है और केवल ECIR क्रमांक बदली गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि आवेदक की किसी भी गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और आवेदक को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराध के लिए दूसरी बार एक ही मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले ही दूसरी ECIR के संबंध में पूछताछ की जा चुकी है और हिरासत में पूछताछ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि ECIR 11 में आवेदक की ओर से दायर जमानत याचिका में, इस न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न पर, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि "इस चरण में वर्तमान आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है" इसलिए प्रवर्तन निदेशालय के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. यह तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसियां आवेदक की विचारण पूर्वक कारावास की अवधि बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आवेदक 14 महीने न्यायिक हिरासत में रहा था, 9 महीने ईडी और ECIR 11 में रहा था। एसीबी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज प्रथम सूचना में उसने 14 दिनों की पुलिस हिरासत सहित 5 महीने की न्यायिक हिरासत भी काटी थी। आवेदक ने यूपी ECIR में 4 दिनों की पुलिस हिरासत सहित दो महीने की न्यायिक हिरासत भी काटी है। आवेदक ने एक ही कथित अपराध के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच के संबंध में लंबे समय तक कारावास का सामना किया है और ECIR 11 के संबंध में भी 9 महीने की हिरासत का सामना किया है, मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है। उन्होंने **रामकृपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 3205/2024** के फैसले पर भरोसा किया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पीएमएलए के तहत भी शासी सिद्धांत यह है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

12. यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है और यदि इसे आपराधिक अपील क्रमांक 3295/2024 [मनीष सिसोदिया (द्वितीय) बनाम प्रवर्तन निदेशालय] में पारित निर्णय के संदर्भ में पढ़ा जाए, जिसमें निम्न प्रकार से टिप्पणी की गई है:

"53.....हमारे अनुभव से, हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कभी-कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। सीधे-सादे साफ मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण, इस न्यायालय में जमानत याचिकाओं की भारी संख्या आ गई है, जिससे लंबित मामलों की संख्या और



बढ़ गई है। अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को पहचानें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"

13. पीएमएलए की धारा 45 में बस इतना ही उल्लेख है कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत कि, "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का केवल एक संक्षिप्त विवरण है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा एक नियम है और वंचना अपवाद है। वंचना केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही हो सकती है, जो एक वैध और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। पीएमएलए की धारा 45 दोहरी शर्तें लगाकर इस सिद्धांत को फिर से इस आशय हेतु नहीं लिखती है कि वंचना आदर्श है और स्वतंत्रता अपवाद है। जैसा कि पहले बताया गया है, केवल इतना आवश्यक है कि जिन मामलों में जमानत दोहरी शर्तों की संतुष्टि के अधीन है, उन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

14. इसके अलावा उन्होंने मनीष सिसोदिया (II) (सुप्रा) में रामकृपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3205/2024 दिनांक 30.07.2024) पर भरोसा करते हुए दोहराया है, जहां आरोपी पहले से ही काफी महीनों से हिरासत में है और कम समय में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है, पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता को सशर्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से शिथिल किया जा सकता है। उन्होंने फैसले के पैरा 28 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

28. किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल में रहना बिना मुकदमे के सजा नहीं बन जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंचता है, और यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला निकट समय के भीतर नहीं होगा, तो जमानत के लिए प्रार्थना योग्य हो सकती है। यद्यपि अभियोजन आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक की सजा जैसे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरोती के लिए अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि के मामलों के बराबर मानना उचित नहीं होगा। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें 100/1000 जमाकर्ताओं को धोखा दिया गया हो। आरोपों को स्थापित एवं साबित किया जाना चाहिए। देशी के मामलों में जमानत का अधिकार, आरोपों की प्रकृति के आधार पर लंबी अवधि के लिए कारावास के साथ, कोड की धारा 439 और पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि संवैधानिक जनादेश उच्च कानून है, और यह किसी अपराध के आरोपी और दोषी न पाए गए व्यक्ति का मूल अधिकार है कि उसे त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर दी जाए। जब मुकदमा अभियुक्त के अलावा किसी अन्य कारण से आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो अदालत को, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने



के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह तब अधिक सत्य होगा जब मुकदमे में वर्षों लग सकते हैं।”

15. उन्होंने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एससीसी 51; सुखिंदर सिंह @ शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2005) 7 एससीसी 387 और कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 291 के फैसले पर भरोसा किया है। आवेदक द्वारा झेली गई लंबी अवधि की कैद के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में बार-बार दोहराया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

16. यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 436-ए सीआरपीसी को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी अभियुक्त को पीएमएलए के तहत तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास न भुगत ले। उन्होंने तर्क दिया कि जब मुकदमा अभियुक्त के कारण नहीं होने वाले कारणों से कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो अदालत को जब तक अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने मनीष सिसोदिया 1 (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1393 के फैसले को दोहराया है, जिसमें निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

“29. पीएमएल अधिनियम की धारा 19 (1) में उल्लिखित पूर्व शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता पर, हमने पदम नारायण अग्रवाल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले से उद्धृत किया है और गिफर्ड (सुप्रा) में कनाडा के फैसले का भी उल्लेख किया है और उससे उद्धृत किया है। “विश्वास करने के कारणों” का अस्तित्व और वैधता गिरफ्तारी करने की शक्ति की जड़ में जाती है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की व्यक्तिपरक राय गिरफ्तारी की तारीख को उनके पास उपलब्ध सामग्री के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित होनी चाहिए। “विश्वास करने के कारणों” को पढ़ने के बाद अदालत को गिरफ्तारी के समय पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) के अनुपालन के लिए किए गए अभ्यास की वैधता पर ‘द्वितीयक राय’ बनानी चाहिए। “विश्वास करने के कारण” कि व्यक्ति पीएमएल अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है, दस्तावेजों और मौखिक बयानों के रूप में सामग्री पर आधारित होना चाहिए।”

17. उन्होंने तर्क दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को केवल मुकदमे में देरी के आधार जिसके साथ लंबे समय तक विचारण पूर्व कारावास था, के मामलों में अपराध की कथित गंभीरता और जमानत देने पर विशेष कानूनों में निहित प्रतिबंधों के बावजूद जमानत दी है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 22137/2024, विजय नायर बनाम ईडी में पारित आदेश; एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 8439/2024, नीरज सिंघल बनाम ईडी में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024; कलवकुंटा कविता बनाम ईडी में एसएलपी



(सीआरएल) क्रमांक 10778/2024 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 ; प्रेम प्रकाश बनाम ईडी में एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5416/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 ; रामकृपाल मीना बनाम ईडी में एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3205/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 ; जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 एससी ऑनलाइन एससी 1693; जैनम राठौड़ बनाम हरियाणा राज्य 2022 ऑनलाइन एससी 1506; सुजय यू देसाई बनाम एसएफआईओ 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1507 पर भरोसा किया है।

18. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का हो, लेकिन यह नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए और प्राथमिक उद्देश्य आरोपी की सुनवाई के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उन्होंने पी. चिदंबरम बनाम ईडी (2020) 13 एससीसी 791 के फैसले का हवाला दिया है। यह तर्क दिया गया है कि कथित शराब घोटाले की जांच के संबंध में, आवेदक पहले ही 11 महीने की हिरासत और ईडी की 20 दिनों की हिरासत में रह चुका है और ईडी द्वारा दायर पहली अभियोजन शिकायत में 15 गवाहों के नाम हैं और जांच जारी है और इस प्रकार, मुकदमे में समय लग सकता है और इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है और ECIR 11 में अभियोजन शिकायत पहले ही खारिज कर दी गई है और इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एसएलपी संख्या 5191/2021 ; कृष्णन सुब्रमण्यम बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1384 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। उन्होंने संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है:

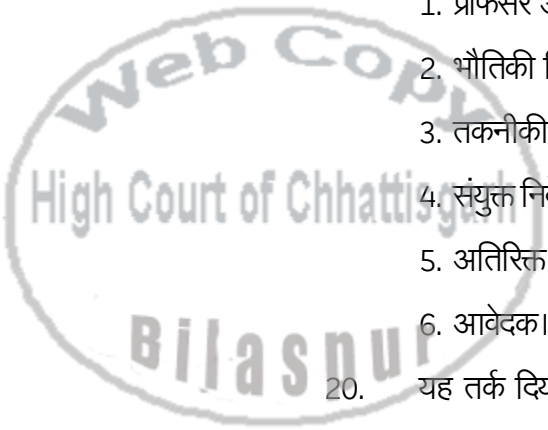
“यह न्याय के हित में नहीं है कि आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जाए। निस्संदेह, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपित अपराध राज्य के खजाने को कथित रूप से भारी नुकसान के मामले में गंभीर है, जो अपने आप में हमें अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने से नहीं रोक सकता है, जब प्रतिवादी का कोई गंभीर तर्क नहीं है कि आरोपी, अगर जमानत पर रिहा हुआ, तो मुकदमे में हस्तक्षेप करेगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। हमें हिरासत में लिए गए आरोपियों को हिरासत में कैद रखने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता, वह भी जांच पूरी होने और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद।”

19. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक दूरसंचार विभाग का आईटीएस अधिकारी है और आबकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर विशेष सचिव और सीएसएमसीएल के संयुक्त एमडी/एमडी के रूप में काम कर रहा था और उसे आबकारी विभाग के कामकाज और कार्यप्रणाली का कोई ज्ञान



नहीं था। सभी नीतिगत प्रस्ताव आयुक्त, आबकारी छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तावित किए गए थे। प्राप्त प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष रखा गया और अनुमोदन पर उन्हें लागू किया गया और इसलिए आवेदक की नीति बनाने और उसके अनुमोदन में कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा आवेदक की पार्ट ए शराब की लैडिंग कीमत बढ़ाने में कोई भूमिका नहीं थी। देशी शराब की आपूर्ति की निविदा आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ श्री कमल प्रीत सिंह (आईएस) द्वारा जारी की गई थी और उनके द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। आवेदक की निविदा जारी करने और देशी शराब की आपूर्ति की दर को मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है और वास्तव में उक्त कीमत कच्चे माल की कीमत में वृद्धि का हवाला देते हुए डिस्टिलर्स के इशारे पर ही बढ़ाई गई थी। होलोग्राम आपूर्ति निविदा आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई थी और उनके द्वारा अनुमोदित की गई थी क्योंकि आवेदक पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप देने और बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति में केवल एक सदस्य था, जिसमें विभिन्न विभागों के निम्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं:

1. प्रोफेसर और भौतिकी विभाग के प्रमुख एनआईटी रायपुर
 2. भौतिकी विभाग के प्रोफेसर एनआईटी रायपुर
 3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी आईटी मंत्रालय, भारत सरकार
 4. संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ सरकार
 5. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी विभाग के
 6. आवेदक।
20. यह तर्क दिया गया है कि एफएल-10ए लाइसेंस की अवधारणा एक नीतिगत निर्णय था। इसे आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़ द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तावित किया गया था और प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के अनुमोदन पर एफएल 10ए लाइसेंस आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए और आवेदक की इसमें कोई भूमिका नहीं है। बेहिसाब शराब की आपूर्ति के आरोप के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि शराब का निर्माण छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी नियम 1995 के तहत संचालित डिस्टिलरी में किया जाता है। डिस्टिलरिस को संचालित करने और नियंत्रित करने की शक्तियाँ आयुक्त आबकारी और विभाग में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के पास निहित हैं। डिस्टिलरी में निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के प्रावधान के तहत बोतल बंद किया जाता है। इस नियम के तहत बोतलबंद करने की निगरानी और विनियमन करने की प्रक्रिया भी आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ के पास निहित है। यह आरोप कि आवेदक ने विधु गुप्ता के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम की व्यवस्था की, निराधार है, क्योंकि होलोग्राम की आपूर्ति निविदा शर्तों के अनुसार आयुक्त आबकारी





10/28

छत्तीसगढ़ को की गई थी। आबकारी विभाग का होलोग्राम अनुभाग होलोग्राम की आपूर्ति के लिए मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी को पीओ जारी करता है, जो होलोग्राम अनुभाग के संरक्षण में है। लागत के भुगतान के बाद, मांग प्रस्तुत की जाती है, भुगतान सत्यापित किया जाता है और होलोग्राम आपूर्तिकर्ता के स्थानीय प्रतिनिधियों को क्यूआर कोडिंग और नंबरिंग के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। यह नंबरिंग मशीन जो होलोग्राम अनुभाग के नियंत्रण में है, डिस्टिलरियों को जारी की जाती है, जो बदले में इसे देशी शराब की बोतलों पर चिपकाते हैं और सभी गतिविधियाँ, भंडारण, डिस्टिलरों को होलोग्राम की आपूर्ति का भुगतान आदि आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ सीएसएमसीएल के नियंत्रण में है और आवेदक पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

21. उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ यह आरोप कि बेनामी विदेशी संपत्ति अर्जित करने के लिए नीदरलैंड और यूएई में बड़ी मात्रा में नकदी स्थानांतरित की गई थी, पूरी तरह से निराधार है और न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के पास यूएई और नीदरलैंड में कोई विदेशी संपत्ति है। इसी तरह का आरोप आवेदक के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत में लगाया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि ईडी का पूरा मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा है और खामियों से भरा है। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक को सीएसएमसीएल के एमडी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है जो पार्ट-ए आयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में पहला कदम था। यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित शराब सिंडिकेट ने 01.04.2019 से काम करना शुरू कर दिया और आवेदक को मई 2019 में ही नियुक्त किया गया। इसके अलावा कथित नकली होलोग्राम निर्माण कंपनी यानी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एंड फिल्म्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को अक्टूबर 2019 में पहली बार होलोग्राम की आपूर्ति के लिए टेंडर दिया गया था। इसलिए अप्रैल 2019 से कोई पार्ट-बी रिश्ता नहीं ली जा सकती थी और न ही कोई नकली होलोग्राम बनाया गया, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पीएचएफएसपीएल से पहले होलोग्राम की आपूर्ति करने वाली कंपनी यानी मेसर्स मॉन्टेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की न तो ईडी द्वारा जांच की गई है और न ही उसे उक्त मामले में आरोपी बनाया गया है।

22. अंत में, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के अलावा कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और इसलिए आवेदक के खिलाफ कोई पूर्ववर्ती अपराध नहीं बनता है और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

23. इसके विपरीत, प्रतिवादी/जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील डॉ. सौरभ पांडे ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:



11/28

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2024 में केवल ECIR/RPZO/11/2022 के संबंध में दायर अभियोजन शिकायत को खारिज किया था, न कि ईसीआईआर को और पीसी को **पवन डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में आपराधिक अपील क्रमांक 2779/2023** के फैसले के अनुसार अनुसूचित अपराध (भा०दं०सं० की धारा 120-बी) की अनुपलब्धता के तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक धन शोधन के अपराध से जुड़ी गतिविधियों, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अनुसार अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना में शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य विशेष अनुमति याचिकाकर्ता (आपराधिक) क्रमांक 4634/2014 के दिनांक 27.07.2022 के फैसले में माना है कि यह अब एकीकृत नहीं है कि पीएमएलए के तहत जमानत देने से पहले पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय का प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार है:

“135. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि निकेश ताराचंद शाह 642 के पैराग्राफ 53 में, न्यायालय ने नोट किया कि उसने धारा 45/2002 को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हालांकि, पैराग्राफ 54 में, घोषणा केवल धारा 45(1) में निहित जमानत पर रिहाई के लिए आगे की (दो) शर्तों के संबंध में है, जो असंवैधानिक हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती हैं। जैसा भी हो, उस अवलोकन में कुछ भी नहीं रहेगा या उस मामले के लिए, प्रावधान [धारा 45(1)] में दोष के रूप में घोषणा, जैसा कि तब मौजूद थी, और इस न्यायालय द्वारा देखा गया था, जिसे संसद द्वारा संशोधन अधिनियम 13, 2018 को अधिनियमित करके ठीक किया गया है, जो 19.4.2018 से प्रभावी हो गया है। इसलिए, हमने प्रावधान में दोहरी शर्तों को चुनौती देने के लिए खुद को सीमित कर लिया है, जैसा कि 2018 के संशोधन के बाद इस तिथि तक है और जो संबंधित अधिनियमों जिनमें एक ही प्रकार की दोहरी शर्तें हैं, से निपटने वाले ऊपर संदर्भित निर्णयों के विश्लेषण पर वैध है, हमें चुनौती को अस्वीकार करना चाहिए। इसके बजाय, हम मानते हैं कि 2002 अधिनियम की धारा 45 के रूप में प्रावधान, जैसा कि 2018 के संशोधन के बाद लागू है, उचित है और इसका 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आशय और उद्देश्यों से सीधा संबंध है, ताकि धन शोधन के खतरे से निपटा जा सके, जिसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, जिसमें देशों की वित्तीय प्रणालियों और संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करना शामिल है।”

24. यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए की धारा 45 गैर-बाधा खंड से शुरू होती है और पीएमएलए मामले में जमानत तय करने के लिए, धारा 45 में परिकल्पित शर्तें हमेशा संतुष्ट





12/28

होती हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एनडीपीएस की धारा 37 पीएमएलए की धारा 45 के समान है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **केरल राज्य बनाम राजेश (2020) 12 एससीसी 122** के मामले में धारा 37 की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार माना:

“19. धारा 37 की योजना से पता चलता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग न केवल सीआरपीसी की धारा 439 के तहत निहित सीमाओं के अधीन है, बल्कि धारा 37 द्वारा रखी गई सीमाओं के अधीन भी है जो गैर-बाधा खंड से शुरू होती है। उक्त धारा का क्रियाशील भाग नकारात्मक रूप में है, जो अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने का प्रावधान करता है, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं। पहली शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और दूसरी यह है कि न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है, तो जमानत देने पर प्रतिबंध लागू होता है।”

25. यह तर्क दिया गया है कि डब्ल्यूपी क्रमांक 153/2023 में दायर अंतरिम आवेदन में, ECIR/RPZO/11/2022 को रद्द करने के लिए राहत एक अन्य सह-आरोपी यानी अनिल टुटेजा द्वारा मांग की गई थी, हालांकि आवेदक को उक्त राहत नहीं दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि ECIR 11/2022 को तीस हजारी कोर्ट दिल्ली के समक्ष दायर आयकर शिकायत के आधार पर 18.11.2022 को दर्ज किया गया था, जबकि ECIR/04/2024 को एफआईआर संख्या 04/2024 दिनांक 17.01.2024 के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसे ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी और पीसीटी अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत दर्ज किया था। ये पीएमएलए, 2002 की अनुसूची के भाग-ए के पैरा 1 और 8 में शामिल अनुसूचित अपराध हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(1)(वाई) के तहत परिभाषित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ECIR/RPZO/11/2022 में प्राप्त निष्कर्षों को ईओडब्ल्यू/एसीबी छत्तीसगढ़ के साथ साझा किया है। डब्ल्यूपी(सीआरएल) संख्या 153/2023 में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ईओडब्ल्यू/एसीबी एफआईआर के आधार पर ECIR/RPZO/04/2024 के पंजीकरण के तथ्य को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया था और इसने ईडी को नई ECIR दर्ज करने से नहीं रोका। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एफआईआर के आधार पर नई ECIR दर्ज की गई है।

26. वर्तमान जांच नई ECIR क्रमांक ECIR/RPZO/ 04/2024 पर आधारित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा ईओडब्ल्यू/ एसीबी रायपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर 11.04.2024 को दर्ज की गई है। इसके अलावा आवेदक अरुण पति त्रिपाठी शराब घोटाले का



13/28

मास्टरमाइंड था। आवेदक को ईडी ने 08.08.2024 को गिरफ्तार किया था और उसे 14.08.2024 तक 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद समय-समय पर रिमांड पर लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान गिरफ्तारी पूरी तरह से पीएमएलए 2002 की धारा 19 की उपधारा 1, 2 और 3 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक को एम.सी.आर.सी. 60/2024 में दिनांक 13.02.2024 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत नहीं दी गई थी, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19.10.2023 को केवल अंतरिम जमानत देने की सलाह दी थी। WP No. 15/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रासंगिक आदेश इस प्रकार है:

“उपर्युक्त आदेश को पढ़ने से प्रथम दृष्ट्या ऐसा परिदृश्य सामने आता है कि उच्च न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए अंतरिम जमानत आदेश जारी रखना चाहिए था। जमानत के लिए याचिका को खारिज करने और अंतरिम जमानत को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जा सकता है। यदि कोई हो, तो उसके बाद दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इसे छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें। इस बीच, याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर जारी रहें और गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश स्थगित किया जाता है।”

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.07.2023 के आदेश जिसमें कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, के बावजूद उच्च न्यायालय ने दिनांक 6.10.2023 के अपने आदेश के माध्यम से सह-आरोपियों की जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया। आरोपी न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे और परिणामस्वरूप, निदेशालय ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसने तीन आरोपियों नितेश पुरोहित, अनवर डेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गैर जमानती वारंट जारी किए। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को इस बार अलग अनुसूचित अपराध के आधार पर एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आवेदक के खिलाफ 05.10.2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है और विशेष न्यायालय ने 5.10.2024 को इसका संज्ञान लिया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि नई EIRC की जांच के दौरान आवेदक के खिलाफ निम्नलिखित तथ्य एकत्र किए गए हैं और जिन्हें निदेशालय द्वारा प्रस्तुत अभियोजन शिकायत में शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि:

“छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि आवेदक ने सीएसएमसीएल की मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से रिश्त के पैसे एकत्र किए थे। निदेशालय द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 01.01.2019 से 13.06.2024 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भर में



14/28

शराब की दुकानों पर सीएसएमसीएल से जुड़ी मैनपावर एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया गया था। यह भी पता चला है कि आवेदक ने सिद्धार्थ सिंघानिया नामक व्यक्ति की मदद से 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपये वापस प्राप्त किए थे। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक ने सीएसएमसीएल के प्रमुख रहते हुए शराब घोटाले और अन्य अवैध कृत्यों से 65 करोड़ रुपये प्राप्त किये और उन्होंने इस निधि का उपयोग विदेशी देशों में किया ताकि कुर्की की कार्यवाही से बचा जा सके। यह निधि उनकी पत्नी के नाम पर है जो दुबई स्थित मेसर्स ईगल हंटर्स ग्रुप एलएलसी की शेयरधारक हैं। संलग्न दस्तावेज से पता चलता है कि आवेदक की पत्नी मेसर्स डच ईगल हंटर्स ग्रुप एलएलसी नामक कंपनी में 50% की शेयरधारक हैं और आवेदक के बैंक खाते में 2,29 करोड़ रुपये जमा हैं। यह भी पता चला है कि आवेदक की पत्नी नीदरलैंड स्थित संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से व्यवसाय कर रही है और कंपनी के संचालन में पूरी तरह से शामिल है। यह तर्क दिया गया है कि श्री बी.आर.लोहाई ने विदेशी संस्थाओं से संबंधित विवरण साझा किए थे। मेसर्स नानसे बीवी और यूई स्थित संस्था आवेदन से संबंधित मेसर्स ईगल हंटर्स एल०एल०सी० से संबंधित बैंक स्टेटमेंट संबंधित ई-मेल के माध्यम से। बैंक खाते के उक्त विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक की पत्नी शेयरधारक है और 5 लाख से अधिक की नकद जमा राशि दिखाई गई है और नकद जमा की उसी तिथि को, 1 करोड़ रुपये नीदरलैंड स्थित कंपनी मेसर्स नानसे बीवी को हस्तांतरित किए गए थे। यह भी पता चला है कि आवेदक ने शराब घोटाले से एकत्रित धन को दुबई स्थानांतरित करने के लिए हवाला मार्गों का उपयोग किया था।

28. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित के लिए एक गंभीर खतरा है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने **मोहम्मद आरिफ बनाम ईडी बीएलएपीएल क्रमांक 2606/2020** के मामले में माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का प्रभाव वित्तीय आतंकवाद का एक कृत्य है जो न केवल देश की वित्तीय प्रणाली के लिए बल्कि राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करता है और इस प्रकार टिप्पणी की है:

“22. मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कुछ और नहीं बल्कि वित्तीय आतंकवाद का एक कृत्य है जो न केवल देश की वित्तीय प्रणाली के लिए बल्कि राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि लॉन्डर्ड मनी से प्रति वर्ष लगभग 590 बिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की आय होती है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो से पांच प्रतिशत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि आर्थिक अपराध प्रकृति में अद्वितीय हैं क्योंकि वे समाज के नाजुक आर्थिक ढांचे को दबाते हैं। ये अपराध मानवीय चेतना में व्याप्त हैं और व्यापार जगत की अखंडता पर कई सवाल खड़े करते



हैं। इस तरह के अपराध जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं और अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार शून्य छोटे निवेशकों द्वारा वहन किए जाने वाले गंदे अवशेषों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह की विकृत "योजनाओं" के अपराधी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जो अपने निवेशकों को स्वप्नलोक का वादा करते हैं, ऐसा लगता है कि वे एक कहावत के अनुसार "भ्रामक सौदेबाजी" में शामिल हो गए हैं और उन गुमनाम लोगों की अनगिनत पीड़ाओं के प्रति पूरी तरह से बेखबर हैं, जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है और पीड़ा की आग में झोंक दिया गया है।"

28. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को पुराने ECIR/RPZO/11/2022 में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष की शिकायत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है, इसलिए इस अवधि को वर्तमान मामले में जमानत तय करते समय ED हिरासत के रूप में नहीं गिना जा सकता है। मामले के तथ्यों के अनुसार, आरोपी 11.10.2024 तक वर्तमान मामले में 65 दिनों तक कारावास में रहा है और आवेदक को अन्य जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनकी हिरासत/न्यायिक रिमांड में रहा, जिसे प्रवर्तन निदेशालय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादी/जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि घोटाले का दायरा बहुत बड़ा है और आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तथा अभी भी अपराध की आय उसके कब्जे में है और उसके साथी दुबई में बैठे हैं जो किसी न किसी बहाने से जांच में शामिल नहीं हुए हैं और जैसा कि निदेशालय ने प्रदर्शित किया है कि अपराध की अधिकांश आय भारत के बाहर छिपाई गई है और यह देखते हुए कि आवेदक अक्सर भारत से बाहर यात्रा करता है और उसके सहयोगी विदेश में हैं, उसके भागने का भी खतरा है। यह भी कहा गया है कि आवेदक आबकारी विभाग का प्रमुख होने के कारण एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वरिष्ठ नौकरशाहों, वर्तमान शराब सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों का करीबी है और वर्तमान मामला 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित है और जैसा कि न्यायालयों द्वारा अनेक निर्णयों में माना गया है कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के अपराध हैं और ऐसे मामलों में सामान्यतः जमानत नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए आवेदक इस स्तर पर जमानत दिए जाने का हकदार नहीं है।

29. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों तथा प्रतिवादी/प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

30. वर्तमान मामले में, आवेदक के खिलाफ ACB/EOW, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत पूर्ववर्ती अपराध दर्ज किया गया है, जो पीएमएलए, 2002 की अनुसूची के भाग-ए



के पैराग्राफ 1 और 8 में शामिल अनुसूचित अपराध हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(1)(y) के तहत परिभाषित किया गया है। पूर्ववर्ती अपराध की प्रथम सूचना; पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों सहित दस्तावेज जिन्हें श्री ठंडी लाल मीना असिस्टेड डायरेक्टर द्वारा सांझा किया गया है, आयकर विभाग द्वारा दायर की गई शिकायत और आयकर विभाग द्वारा साझा की गई तारीख का ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया। पूर्व ECIR 11 में दिए गए अपने बयानों की पुष्टि करने वाले गवाहों के बयानों से यह तथ्य सामने आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग में अवैध कमीशन अर्जित करने के लिए सिंडिकेट द्वारा एक सुनियोजित व्यवस्थित साजिश को अंजाम दिया गया था।

31. ईडी की जांच से पता चला है कि सिंडिकेट द्वारा सीएसएमसीएल का इस्तेमाल एक समानांतर आबकारी विभाग को लागू करने के लिए किया गया था, जिसमें राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। आवेदक सीएसएमसीएल का नेतृत्व कर रहा था और संगठन का एमडी था। यह भी पता चला है कि आवेदक को मेसर्स सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्र किए गए रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों में गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था।

32. वर्तमान प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के पश्चात यह संज्ञान में आया है कि आवेदक को मेसर्स सीएसएमसीएल का प्रमुख तथा राज्य आबकारी विभाग में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त कर प्रभावशाली व्यक्ति होने तथा वरिष्ठ नौकरशाहों के करीबी होने के कारण वर्तमान शराब सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों ने लाभ अर्जित किया। आवेदक की सम्पूर्ण घोटाले में प्रत्यक्ष संलिप्तता की जांच की गई है, जिसमें बेहिसाब शराब की बिक्री से कमीशन की वसूली की बात सामने आई है। आवेदक ही सह-आरोपी अनवर ढेबर को दैनिक/मासिक खरीद का विवरण उपलब्ध कराता था, ताकि पार्ट-ए कमीशन प्राप्त किया जा सके। वह सह-आरोपी के साथ बैठक में भाग लेता था तथा राज्य संचालित दुकानों से बेहिसाब कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री की अभूतपूर्व प्रणाली प्रारंभ हुई। वह राज्य संचालित दुकानों से पार्ट-बी शराब की बिक्री में भी संलिप्त है तथा उसने लगभग 50 रुपये प्रति केस बेहिसाब देशी शराब की अपराध आय भी अर्जित की है और 40 लाख केस बेहिसाब शराब की कमाई की, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये है। आवेदक पर आरोप है कि उसने टेंडर की शर्तों को कम करके मेसर्स प्रिंज्म होलोग्राफी के साथ साजिश रची और लाखों डुप्लिकेट होलोग्राम की आपूर्ति सुनिश्चित की, जो शराब को असली शराब जैसा दिखाने के लिए जरूरी थे।



17/28

33. अभियोजन का मामला यह है कि राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राज्य सरकार के राजनीतिक अधिकारियों से युक्त एक आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में सक्रिय था और शराब की बिक्री के जरिए राज्य के विभागों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अवैध रिश्त वसूल रहा था, जो उनकी अवैध कमाई का एक प्रमुख स्रोत है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में वर्ष 2019 से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा था। आबकारी विभाग की स्थापना शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने, अवैध शराब की दुर्घटनाओं को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए की गई थी, लेकिन आपराधिक सिंडिकेट ने अपनी मर्जी के अनुसार नीति में बदलाव किया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ उठाया और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सिंडिकेट द्वारा कुल 1660,41,00,056/- रुपए की कमाई कर राज्य के खजाने में योगदान किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद यह पता चलता है कि आवेदक की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता है और आरोप पत्र दायर किया गया है। चूंकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के थे, इसलिए गंभीर अपराधों में उनकी संलिप्तता का अनुमान लगाने के लिए सामग्री थी।

34. इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की भूमिका, जिस तरह से उस पर अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रचने का आरोप है और इस प्रकार वह एक सिंडिकेट का हिस्सा था और डुप्लीकेट होलोग्राम उपलब्ध कराने, विदेशी भूमि पर धन हस्तांतरित करने में सहायता करके अवैध कमाई में शामिल था, उस पर बड़े पैमाने के आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया है और आरोप की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, आवेदक पर आरोप लगाया गया है, जो अत्यंत गंभीर है और जमानत देने के लिए पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत विशेष और कड़े प्रावधान को देखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, ऊपर वर्णित कारणों से वर्तमान आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित नहीं है।

35. तदनुसार, आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('बीएनएसएस') की धारा 483 तथा पीएमएलए की धारा 45 के तहत की गई जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

एसडी/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



18/28

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

